प्रेस नोट 01.10.2020

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार–
पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 01.11.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दोरान मु0अ0सं0 683/20 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त मनोज यादव पुत्र चन्दद्रेव यादव निवासी परसीया देवारा थाना बरहज जनपद देवरिया, रामजतन पुत्र लखराज निवासी धर्मपुर नकीहवा थाना मधुबन मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्तगण अवैध शराब की तश्करी में संलिप्त है। जिसके विरूद्ध पूर्व में मु0अ0सं0 539/20 धारा 272,273 भादवि0 व धारा 60(2), 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत है।

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक शातिर गिरफ्तार–
दिनांक 31.10.2020 को थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान आलिया नगर मोड़ के पास से जरिये मुखबिर की सूचना पर सोनू असंरी पुत्र खुर्शिद निवासी सरवा थाना सरायलखंसी मऊ के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा मय जिंदा कारतूस एक अदद 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 261/20 धारा 3/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार–
आज दिनांक 01.11.2020 को थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान डोडापुर के पास से सोनू उर्फ गुलशन पुत्र विनोद कुमार निवासी हसनपुर थाना सरायलखंसी मऊ के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल ग्लैमर बिना नम्बर प्लेट बरामद कर गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान पता चला कि उक्त मोटरसाइकिल चोरी की सूचना थाना मधुबन पर दर्ज है। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 791/20 धारा 41/411 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार–
दिनांक 31.10.2020 को थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान कमालचक के पास से विनोद वर्मा पुत्र रामजी वर्मा निवासी जोतपहाड़ थाना चिरैयाकोट मऊ के कब्जे से 20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

जुआ खेलते तीन गिरफ्तार कब्जे से फण के 640 रूपये व 52 ताश के पत्ते बरामद–
दिनांक 31.10.2020 को थाना मुहम्दाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान इदगाह बरईपुर के पास से जुआ खेलते शमसाद पुत्र मुख्तार, सतीराम पुत्र रामबली निवासीगण बरईपुर थाना मुहम्मदाबाद के कब्जे से फण के 640 रूपये व ताश के 52 पत्ते बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 752/20 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 01.11.2020 जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना कोपागंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 539/20 धारा 34,323,504,506,336,354 भादवि0 में वांछित अभियुक्त कृष्णा उर्फ किसुन साहनी पुत्र दशई निवासी हकीमपुरा थाना कोपागंज, थाना मधुबन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 676/20 धारा 498ए, 304बी भादवि0 व 3/4 डीपी एक्ट में वांछित अभियुक्तगण देवेन्द्र यादव, जितेन्द्र यादव पुत्रगण स्व0 रामप्रताप, शांति देवी पत्नी स्व0 रामप्रताप निवासीगण आदमपुर थाना मधुबन मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

महिला एच्छिक ब्यूरो के प्रयास से तीन दंपति साथ– साथ रहने को हुए राजी, 22 में से 09 मामलों का हुआ निस्तारण–

महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक रविवार को पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी मधुबन राजकुमार सिंह की देखरेख में हुई। इसमें कुल 22 मामले आए, जिसमें परामर्श केंद्र के सदस्यों के प्रयास से नौ मामलों का निस्तारण हुआ। जिसमें तीनों दंपति अपने सभी मतभेद भुलाकर साथ–साथ रहने को तैयार हो गए। वही तीन मामलों मे सुलह न होने की स्थिति मे पत्रावली अग्रिम कार्यवाही कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दी गई। इस दौरान एक मामले में पक्षकारों ने सुलह के लिए समय की मांग किया। वही सात मामलों में एक एक पक्षकार उपस्थित हुए तथा पांच मामलों में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि आठ नवंबर और 22 नवंबर नियत कर अनुपस्थित पक्षकारों को नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया। महिला एच्छिक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से निशा देवी और सुभाष राम, रीता और संजय तथा सीता और रमाशंकर ने आपसी मतभेद भुलाकर साथ साथ रहने को तैयार हो गए। वही आशिया खातून और इजहार अहमद, शमा परवीन और मुहम्मद बेलाल तथा चंद्रकला साहनी और सूरज के मामलें मे पक्षकारों की सहमति से पत्रावली निस्तारित कर दी गई। तथा रीमा कुमारी और अरविन्द, प्रतिमा और मनीष शर्मा तथा सायदा परवीन और उफैजा के मामले मे सुलह न होने की स्थिति मे पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दी गई। वही रूपेश कुमार और अंजली के मामले मे पक्षकारों ने सुलह के लिए समय की मांग किया। सुनीता यादव और जयप्रकाश , संगीता और राहुल, सुषमा और काशीनाथ, पूजा और अजय बहादुर, सोनी और सोहराब अहमद के मामले में एक–एक पक्ष उपस्थित हुआ। वही मंजू और श्रवण कुमार, कुसुमलता और सतीश, जुवैदा खातून और मुहम्मद आजाद, प्रियंका और आजाद राजभर , पूजा और सुमित के मामलें में कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि आठ और 22 नवंबर नियत कर अनुपस्थित पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान एच्छिक ब्यूरो के सदस्यगण विनोद कुमार सिंह, मौलवी अरशद, अर्चना उपाध्याय तथा महिला आरक्षी सोनी सिंह और प्रीति दुबे ने योगदान दिया। बैठक में कोविड–19 के दिशा निर्देशों का पालन तथा सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए बैठक की गई। बैठक में काफी संख्या में पक्षकार और उनके परिजन उपस्थित रहे।

आज दिनांक 01.11.2020 पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले द्वारा गाजीपुर तिराहा से यातायात माह नवम्बर–2020 का शुभारम्भ किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यातायत नियमो के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया तथा पुरे माह चलने वाले यातायात कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया गया जिसमें सड़क सुरक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण, रोड इंजिनियरिंग आदि के महत्व के बारे में जनता को जागरूक कर उत्कृष्ट कोटि की यातायत व्यवस्था को बनाने हेतु अन्य विभागों से परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना। ट्रैक्टर

ट्राली के पिछे रिफ्लेक्टर/फ्लोरोसेन्ट स्ट्रिीप लगाया जाना तथा चालको को यातायात नियम के बारे में व्यापक जानकारी व प्रशिक्षण का दिया जाना, जिम्मेदार नागरिक पहल के अन्तर्गत स्कूलों, विद्यालयों में यातायात के नियमों का व्यापक प्रचार प्रसार करना, वाहन चलाते समय पैदल यात्रियों को प्राथमिकता प्रदान करेगें। अपने माता–पिता बच्चों रिस्तेदारों, सहकर्मियों वाहन चालको व परिचितों को यातायात नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी देना। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को यातायत नियमों के प्रति जागरूक करने तत्पश्चात यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालाकों, वाहन स्वामियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। अनाधिकृत रूप से लगे लाल/नीली फ्लेसर बत्ती, वाहनों पर लगे अनाधिकृत हूटर, वाहनों के शीशों पर अवैध रूप से लगी काली, बिना डीएल व पेपर के वाहन चलाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही। यातायात नियम के संकेतों का उलंधन करनें वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। वाहन चलाते समय फोन पर बात करनें वालों, चार पहिया वाहन चालकों द्वारा सीट–बेल्ट न धारण करने वालो, गतल नम्बर प्लेट लगाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। शहरों, कस्बों, गावों में पटरी पर ठेला/खोमचा लगाकर अतिक्रमण करनें वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर श्री धनन्यज मिश्र, क्षेत्राधिकारी नगर श्री नरेश कुमार सिंह, एआरटीओं मऊ श्री महेन्द्र बाबु, प्रतिसार निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह, टीएआई संतोष कुमार सिंह यादव, शहर के गणमान्य व्यापारी, टेम्पू यूनियन के पदाधिकारी व अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे।